APP-A
crim-I

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

राज अदालत - राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर मुकाम - सवाई माधोपुर

गुरज्या वगै. बनाम प्रतिवादी वगै.

किस्म मुकदमा 225 R.T.A. मुकदमा नं. 32/26

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/3/26	अपील की हैसियत गुर्जर एड. ने पेश की। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश हुई। अपील दर्ज रजि. हुई। अपीलांट अधिवक्ता को अपील के एडमिशन एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया। अपीलाधीन आदेश व पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम के प्रकरण सं. 125/25 में पारित अंतरिम आदेश के विरुद्ध पेश की है। अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि अपीलांट बादशाह आबादी का रिकार्डेड खातेदार है। जिसे अधिनस्थ न्यायालय चारा विधि विरुद्ध तरीके से पावंत किया है। अपीलांट के उक्त कथन की पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी 2016-2019 से होती है। चूंकि अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण लंबित में विचार है। न्यायहित में अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार करते हुए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 24/1/25 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को तीन माह में गुणावगुण आधार पर निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता न्यायोचित है। अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम के प्रकरण सं. 125/25 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 24/1/25 [illegible] किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय [illegible] साथ ही प्रेषित [illegible] उभयपक्ष को सुना जाकर [illegible] माह में अंतिम निस्तारण करे। निर्णय सुनाया गया।	

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:28:14 IST
Reason: SelfAttested